मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 11 /**04/**2022

क्र. 16-60/2021/ए-ग्यारह :राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना हेतु निम्नानुसार निर्णय लिया गया -

1. औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी, जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।
2. औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी में मेडिकल डिवाईसेस उत्पादन इकाईयों को उन्हें मोहासा-बाबई में दी गई रियायतों के समान निम्न रियायतें दी जाये:-

(i) विभाग के अंतर्गत कार्यरत एमपीआईडीसी लि. को मेडिकल डिवाईसेस पार्क स्थापना हेतु राज्य क्रियान्वयन संस्था (SIA) नामांकित किया जाता है।

(ii) भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार परियोजना हेतु भवन निर्माण, अनुसंधान एवं विकास सुविधा केन्द्र एवं अधोसंरचना विकास हेतु राज्य के अंश की आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

(iii) पार्क में 24x7 निर्बाध विद्युत एवं जल व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(iv) 10 वर्षो तक भूमि पट्टा के किराये तथा अन्य सेवाओं (utilities) के उपभोग पर प्रतिवर्ष 5% से अधिक वृद्धि नहीं की जाये।

(v) मेडिकल डिवाईसेस पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयो को उनके द्वारा वित्तीय संस्था/बैंको से लिए गये टर्म लोन पर 5% की दर से संचालन दिनांक से 10 वर्षो हेतु अधिकतम रूपये 10 करोड प्रतिवर्ष की सीमा तक प्रति इकाई ब्याज अनुदान सहायता प्रदान की जाये।

(vi) पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को भूमि संबंधी दस्तावेजों के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी।

(vii) उदयोग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता को पार्क में आने वाली इकाईयों हेतु 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष की अवधि में नीति अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सहायता सीमा तक दी जाये एवं उद्योग संवर्धन नीति, 2014 को इस आशय के लिये तदानुसार संशोधित मान्य किया जाये।

(viii) इकाईयों को विद्युत संयोजन दिनांक से 5 वर्षो के लिये विद्युत शुल्क से छूट दी जाये।

(ix) मेडिकल डिवाईसेस पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक पर्यावरण अनुमति नियमानुसार दी जाये।

(x) मेडिकल डिवाईसेस पार्क के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अनुबंध निष्पादन विभाग द्वारा किया जायेगा (औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग) एवं राज्य शासन से अनुबंध निष्पादन हेतु MPIDC को अधिकृत किया जाता है।

(xi) मेडिकल डिवाईसेस इकाईयों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा एस.ई.जेड़, पीथमपुर (वितरण लायसेंसी - मध्यप्रदेश औद्यागिक विकास निगम) के लिये निर्धारित टैरिफ पर विद्युत प्रदाय किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि मेडिकल डिवाईसेस इकाईयों को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नियामक आयोग के खुदरा (रिटेल) विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश अनुसार भुगतान हेतु देयक दिये जायेंगे तथा अंतर की राशि की प्रतिपूर्ति MPIDC के द्वारा की जायेगी। इकाई पर अधिरोपित किसी भी प्रकार के दण्ड, पैनाल्टी आदि की प्रतिपूर्ति MPIDC द्वारा नहीं की जायेगी।

(xii) मेडिकल डिवाईसेस पार्क में जल आपूर्ति की दरों में 10 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 5% से अधिक वृद्धि नहीं की जाये।

(xiii) प्रस्तावित पार्क में इकाईयों को भूमि आवंटन हेतु निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है:-

निरंतर........

(क) **विकास शुल्क:-** पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को रूपये 20 प्रतिवर्ग मीटर प्रतिवर्ष की दर से विकास शुल्क 33 वर्ष में ब्याज रहित समान वार्षिक किश्तों में चुकाने की अनुमति।

(ख) **लैण्ड प्रीमियम** - पार्क अंतर्गत आने वाली इकाईयों को लैण्ड प्रीमियम से छूट प्रदान करते हुये रूपये 1 टोकन राशि पर भूमि आवंटित की जाये।

(ग) **लीज रेंट** - औद्योगिक इकाईयों से 2 प्रतिशत वार्षिक दर से लिये जाने वाले लीज रेंट से छूट प्रदान की जाये।

3. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड, उज्जैन पर निवेशकों को भूमि के विकास शुल्क, लैण्ड प्रीमियम तथा लीजरेंट में दिये जाने वाली छूट के वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

4. विक्रम उद्योगपुरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित मेडिकल डिवाईसेस पार्क में भूमि/भूखण्ड/भवन आवंटन ऑफ लाईन प्रक्रिया से किया जाएगा। इस हेतु सक्षम समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-**60/2021**/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 11/04/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/राजस्व विभाग/जल संसाधन विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/पर्यावरण विभाग/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. कमिश्नर, उज्जैन ।
5. कलेक्टर, उज्जैन ।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।

की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग